महत्वपूर्ण एवं खास

ईडी ने कवासी लखमा के सीए को बुलाया, जेड श्रेणी की सुरक्षा भी हटी

रायपुर (आरएनएस)। आबकारी मंत्री रहे कांग्रेस विधायक कवासी लखमा की जेड श्रेणी की सुरक्षा हटा ली गई है। ऐसा शराब घोटाले में उनकी गिरफ्तारी के बाद किया गया है। बुधवार को उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने तक सिक्योरिटी मिली हुई थी। ईडी ने लखमा के सीए को तलब किया है। शहर से बाहर होने की वजह से वे नहीं ईडी दफ्तर नहीं पहुंच पाए। जानकारी के अनुसार लखमा को ईडी ने अपने पचपेढ़ीनाका स्थित दफ्तर में गुरुवार को दिनभर बैठाए रखा। हालांकि, बताया जा रहा है कि इस दौरान उनसे किसी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई। ईडी को कई आबकारी अधिकारियों के खिलाफ भी सबूत मिले हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी इनसे पहले पूछताछ भी कर चुकी है। पूर्व मंत्री लखमा पर शराब की पॉलिसी बदलने के एवज में हर महीने 2 करोड़ मिलने का आरोप है। ईडी की टीम 2020 के बाद से लखमा, उनकी पत्नी और बेटे हरीश सहित परिवार के अन्य सदस्यों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाली रकम का रिकार्ड चेक कर रही है। ये देखा जा रहा है कि कब-कब और कितने पैसों का ट्रांजेक्शन किया गया है। हरीश के नाम पर बन रहे मकान के लिए पैसे कहां से और किस रास्ते से आए? ये भी चेक किया जा रहा है। इनके अलावा आबकारी अधिकारी कन्हैया लाल कुर्रे और जगन्नाथ के खिलाफ भी ईडी अहम जानकारी मिली है। दोनों से पूर्व में पूछताछ की जा चुकी है। जानकारों के अनुसार इन तीनों के अलावा शराब सिंडिकेट में शामिल कुछ लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

राशनकार्डधारियों को बड़ी राहत, अब चावल और शक्कर के साथ मिलेगा केरोसिन, खाद्य विभाग ने जारी किया निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के गैर अनुसूचित क्षेत्रों के गैस कनेक्शनधारी राशनकार्डों में भी पीडीएस के तहत केरोसिन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ को 552 किलोलीटर केरोसिन का आबंटन किया गया है। जिसे उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को वितरित किया जाएगा। इस आशय का पत्र इन्द्रावती भवन स्थित खाद्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों एवं राज्य स्तरीय समन्वयक ऑयल उद्योग रायपुर को जारी कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित समस्त अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों को पात्रता होगी। नगरीय क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों के लिए एक लीटर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसूचित क्षेत्र तथा गैर अनुसूचित क्षेत्रों के राशनकार्डधारियों को अधिकतम दो लीटर केरोसिन प्रदान किया जाएगा। माह जनवरी 2025 के लिए आबंटित केरोसिन का उठाव 31 जनवरी तक करने को कहा गया है

रायपुर पुलिस हुई साइबर क्राइम का शिकार, हैकर ने इंस्टाग्राम आईडी हैक कर किया यह पोस्ट, मचा हड़कंप

रायपुर, 17 जनवरी (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है। देश और विदेश के साइबर ठगों की निगाह छत्तीसगढ़ में है। और प्रदेश में साइबर जाल बिछाकर लोगों को ठगी के शिकार बना रहे हैं। पुलिस लगातार एक के बाद एक शातिर ठगों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं राजधानी रायपुर पुलिस अब तक कई शातिर ठगों को गिरफ्तार करने में सफ लता प्राप्त की है। पर राजधानी रायपुर पुलिस ही अब साइबर क्राइम का शिकार हुआ है। दरअसल रायपुर पुलिस की इंस्टाग्राम आईडी को साइबर ठगों ने हैक कर लिया। इसके बाद देखते ही देखते हडक़ंप मच गई। इस बात रातों रात राजधानी रायपुर में फैल गई। हैकर ने रायपुर पुलिस की इंस्टाग्राम आईडी में पोस्ट भी किया इस पोस्ट में हैकर ने ऑनलाइन गेमिंग का विज्ञापन पोस्ट किया। हैकर ने एलन मस्क के नाम से यह पोस्ट किया।

रायगढ़ धान खरीदी अनियमितता पर बड़ी कार्यवाही

जांच के दौरान रिकॉर्ड में दर्ज मात्रा से 6529 बोरी धान मिला कम, बारदानों में भी मिली अनियमितता, समिति के चार कर्मचारी निलंबित, अपेक्स बैंक के पर्यवेक्षक भी हटाए गए

- तमनार खरीदी केंद्र के भौतिक सत्यापन में मिली गंभीर अनियमितता
- इस वित्तीय अनियमितता से समिति के कृषक सदस्यों के संचित शेयर को 80.95 लाख का पहुंचाया नुकसान
- दोषी कर्मचारियों पर की जा रही एफआईआर
- खरीदी केंद्र में दूसरे कर्मचारी किए गए तैनात, खरीदी नही होगी प्रभावित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देश पर जिले के सभी धान खरीदी केंद्रों का भौतिक सत्यापन संयुक्त जांच दल द्वारा किया जा रहा है। इसी के तहत रायगढ़ जिले के विकासखण्ड तमनार अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, तमनार के धान खरीदी केन्द्र तमनार के भौतिक सत्यापन में वहां गंभीर अनियमितता सामने आई है। जांच के दौरान 6529 बोरी (2611.60 क्विंटल) धान मौके पर कम पाया गया एवं ऑनलाईन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नये बारदानें अधिक तथा 5980 पुराने बारदानें कम पाया गया। धान एवं बारदाना में अनियमितता करने पर कलेक्टर गोयल के निर्देश पर कड़ी कार्यवाही करते हुए दोषी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है तथा एफआईआर की कार्यवाही भी की जा रही है।

उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं रायगढ़ ने बताया कि धान खरीदी केन्द्र तमनार का भौतिक सत्यापन 15 जनवरी 2025 को संयुक्त टीम द्वारा किया गया। जिसमें धान स्टॉक 6529 बोरी (2611.60 किंवटल) की कमी पाई गई। ऑनलाईन में उपलब्ध बारदानों के विरूद्ध 4054 नये बारदानें अधिक पाया गया। 5980 पुराने बारदानें कम पाया गया।

शासन को गंभीर आर्थिक क्षति पहुँचाने के इस मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार 04 कर्मचारियों- सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया और बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। धान खरीदी केन्द्रों का सतत् निरीक्षण पर्यवेक्षक अपेक्स बैंक द्वारा किया जाता है। वस्तु स्थिति का सही पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण पर्यवेक्षक, अपेक्स बैंक परिक्षेत्र तमनार के सुरेन्द्र साव को हटा दिया गया है।

वित्तीय अनियमितता कर समिति के कृषक सदस्यों के संचित शेयर को पहुंचाया नुकसान

भौतिक सत्यापन के दौरान कम पाए गए 2 हजार 611.60 क्विंटल धान जिसकी भुगतान राशि 80 लाख 95 हजार 960 रूपये होता है। जो आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के कार्यक्षेत्र अंतर्गत शामिल समस्त 1396 कृषक सदस्यों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से हितों को प्रभावित करेगा। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार वस्तुत: किसानों के शेयर से बनाई गई समिति है, इसमें अनियमितता किये जाने पर 1396 किसानों के संचित शेयर से 80 लाख 95 हजार 960 रुपए की हानि पहुंचायी गयी है। इस गंभीर वित्तीय अपराध के लिए सहायक समिति प्रबंधक निलाद्री पटनायक, कम्प्यूटर आपरेटर मधुबाला पटनायक, फड़ प्रभारी भरतलाल राठिया एवं बारदाना प्रभारी शिवशंकर भगत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। समय पर संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर वैधानिक/ एफआईआर की भी कार्यवाही की जावेगी। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित तमनार के प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा सहायक समिति प्रबंधक, कम्प्यूटर आपरेटर एवं धान खरीदी फड़ प्रभारी की व्यवस्था कर ली गई है, जिससे धान खरीदी कार्य प्रभावित नहीं होगी।

छाल पुलिस ने चलाया यातायात जागरूकता अभियान, छात्रों को दिलाई यातायात नियमों के पालन की शपथ

रायगढ़

जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से छाल पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन में यह अभियान एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल और थाना प्रभारी छाल निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैश की अगुवाई में कॉन्वेंट स्कूल और डी.व्ही. पब्लिक स्कूल छाल में आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान छात्रों को यातायात नियमों की विस्तृत जानकारी दी गई। बिना लाइसेंस वाहन न चलाने, हेलमेट और सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाने के खतरों पर जोर दिया गया। पुलिस अधिकारियों ने सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए समझाया कि नियमों की अनदेखी से जानमाल का भारी नुकसान होता है।

छात्रों और स्कूल स्टाफ को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत लागू विभिन्न नियमों और उनके उल्लंघन पर लगने वाले जुर्माने की जानकारी दी गई। यह पहल छात्रों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से की गई।

कार्यक्रम के अंत में सभी छात्रों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट और सीटबेल्ट लगाने, और सुरक्षित वाहन चलाने की शपथ दिलाई गई।

छाल पुलिस ने छात्रों से अपील की कि वे न केवल स्वयं नियमों का पालन करें, बल्कि अपने परिवार और दोस्तों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। अभियान को छात्रों और स्कूल प्रबंधन से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और इसे सड़क सुरक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 पर वाहनों की हुई सघन जांच

- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में एक सप्ताह में 11 लाख से अधिक की राशि की गई अधिरोपित
- कलेक्टर गोयल के निर्देशन में संयुक्त टीम द्वारा की जा रहा नियमित जांच

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में कच्चे माल/उत्पाद/ अपशिष्ट परिवहन करने वाले वाहनों का कन्हर्ड किये जाने एवं स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर का पालन की जांच के लिए जिला स्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है। जिनके द्वारा आज रायगढ़ से खरसिया के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-49 पर परिवहनकर्ता वाहनों की सघन जांच की गई।

जांच दल में परिवहन विभाग, खनिज विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सदस्य शामिल थे। जांच के दौरान परिवहन विभाग द्वारा 05 वाहनों पर ओवरलोड परिवहन करते पाए जाने पर 1 लाख 22 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया। वही खनिज विभाग द्वारा 02 वाहनों को निर्धारित रूट से अन्यत्र कोयला परिवहन करने पर कार्यवाही करते हुए भूपदेवपुर थाने के सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार पर्यावरण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त वाहन द्वारा परिवहन करने, ट्रॉली में 05 से.मी. फ्री बोर्ड स्पेस नहीं होने, संबंधित नोडल का नाम वाहन पर नहीं होने तथा समुचित रूप से तारपोलिन ढ़के बिना, कच्चे माल/उत्पाद/ अपशिष्ट परिवहन करने पर उद्योग मेसर्स एस.ई.सी.एल. लिमिटेड, छाल ओपन कास्ट कोल माईन, छाल, तहसील-छाल पर 30 हजार रूपये, मेसर्स स्काई एलायज एण्ड पॉवर प्रा.लि. ग्राम-टेमटेमा पर 30 हजार रूपये, मेसर्स वेदांता वॉशरी एण्ड लॉजिस्टिक सॉल्युशन प्रा.लि.ग्राम-कुनकुनी, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ पर 30 हजार रूपये जुर्माना लगाया गया। इस तरह कुल 90 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई।

पर्यावरण संरक्षण मंडल रायगढ़ द्वारा विगत एक सप्ताह में मेसर्स एनटीपीसी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा पर फ्लाई परिवहन में उल्लंघन के लिए 3 लाख 37 हजार 500 रूपये एवं एस.ओ.पी.अनुसार कच्चे माल,उत्पाद,अपशिष्ट परिवहन नहीं करने पर मेसर्स जिंदल पॉवर लि. ग्राम-तमनार पर 4 लाख 20 हजार रूपये, मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा पर 30 हजार रूपये, मेसर्स अदानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बडे भण्डार पर 60 हजार रूपये, मेसर्स विमला इन्फ्रास्ट्रक्चर(इंडिया) प्रा. लिमि. ग्राम-भुपदेवपुर जिला-रायगढ़ छ.ग.पर 60 हजार रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। इस प्रकार एक सप्ताह में समस्त कार्यवाहियों के माध्यम से मंडल द्वारा कुल 11 लाख 19 हजार 500 रूपये विभिन्न उद्योगों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है।

अनुशासन का पाठ पढ़ाने कलेक्टर ने संभाली कमान

10 बजे ऑफिस असेंबली में हुए शामिल, फिर मुख्यालय के दूसरे कार्यालयों में जांच के लिए भेजी टीम : पीएचई, जल संसाधन विभाग और पीडब्ल्यूडी ऑफिस में टीम ने दी दबिश

- 31 अधिकारी-कर्मचारी नहीं पहुंचे समय पर, एक दिन का वेतन काटने के निर्देश

रायगढ़

समय पर कार्यालय पहुंचने के निर्देश के बाद लगातार ऑफिसेज के निरीक्षण का दौर जारी है। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने खुद अधिकारी कर्मचारियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कमान संभाली है। वे सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर ऑफिस असेंबली में होने वाले राष्ट्रगान में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने जांच दल को जिला मुख्यालय के अन्य कार्यालयों के निरीक्षण के निर्देश दिए। जिसके पश्चात अपर कलेक्टर ऋषा ठाकुर और डिप्टी कलेक्टर रेखा चंद्रा ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन और लोक निर्माण विभाग में दबिश दी।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में 10 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। वहीं जल संसाधन विभाग के अंतर्गत ऑफिस परिसर में स्थित तीन कार्यालयों की जांच की गई। इसमें केलो परियोजना के 17 अधिकारी कर्मचारी अनुपस्थित मिले, कार्यपालन अभियंता मनीष कुमार गुप्ता भी ऑफिस उपस्थित नहीं पाए गए। वहीं 4 कर्मचारी जल संसाधन संभाग रायगढ़ के समय समय पर कार्यालय में उपस्थित नहीं पाए गए। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने जिले के सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि ऑफिस समय से शुरू हों। यह जांच की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी और आगे कार्यवाही भी सख्त होगी।

ये अधिकारी कर्मचारी मिले अनुपस्थित

आकस्मिक निरीक्षण के दौरान कार्यालयों में अनुपस्थित मिले अधिकारी कर्मचारियों में कार्य.अभियंता केलो परि. सर्वे. संभाग रायगढ़ से फिटर ग्रेड 3 शिवनारायण सिंह, पत्र वाहक यशवंत लोहिया, चौकीदार मुरितराम कश्यप एवं गुरुवार सिंह, जीप वाहक संतोष निर्मलकर, हेल्पर द्रौपति बाई, पत्र वाहक दुर्गा सिंह चौहान, मान चित्रकार एम.डी.भारद्वाज, सहायक ग्रेड 2 एस.के.भारद्वाज एवं ममता साय, आमीन के.वी.लहरे,भृत्य लहरू राम गोड़, डाटा एंट्री ऑपरेटर डमरूधर पटेल, रीता महंत, बसंत कुमार दर्शन एवं ज्ञानेंद्र सिंह अनुपस्थित रहे।

इसी प्रकार जल संसाधन संभाग से सहायक ग्रेड 2 आर.के. देवांगन एवं आर.एस.कंवर, सहायक फिटर धर्मवीर मोवार। अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन रायगढ़ के श्रमिक पदुम यादव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी से प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर भारती राणा, दुर्गेश माधव, आकांक्षा वर्मा, डाटा एंट्री ऑपरेटर दीक्षा पटेल, दीपक कुमार पाल एवं पुष्प लता साहू, सहायक ग्रेड 2 नैवेध पटेल एवं शांता कुमुद, सहायक ग्रेड 3 नितेश पटवा एवं चौकीदार चंद्रशेखर यादव शामिल है।

मानसिक रूप से कमजोर महिला की मदद के लिए आगे आईं धरमजयगढ़ टीआई, उपचार के लिए भेजा सेंदरी अस्पताल

रायगढ़

थाना धरमजयगढ़ प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए एक मानसिक रूप से कमजोर महिला की मदद के लिए सराहनीय कदम उठाया। थानाक्षेत्र में घूमती हुई इस महिला को देख टीआई कमला पुसाम ने उसकी उचित देखभाल और इलाज सुनिश्चित करने का निर्णय लिया।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल को अवगत कर थाना प्रभारी धरमजयगढ़ द्वारा महिला को विधिवत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और उसके उपचार के लिए दरखास्त दी गई। मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने महिला को राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी, बिलासपुर में भर्ती कराने का आदेश दिया। न्यायालय के आदेशानुसार थाना धरमजयगढ़ के स्टाफ ने महिला को सेंदरी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उचित उपचार सुनिश्चित किया गया है। टीआई कमला पुसाम एवं थाना धरमजयगढ़ स्टाफ के इस मानवीय कदम की क्षेत्र में प्रशंसा की जा रही है। यह पहल न केवल पुलिस की संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी परिचायक है।

बैंकों में लंबित ऋण प्रकरणों का करें अतिशीघ्र निराकरण-कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने ली जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक

- महिलाओं को ऋण वितरण में राष्ट्रीय लक्ष्य से अधिक होने पर कलेक्टर ने की सराहना
- एसएचजी समूह की महिलाओं को बैंकों में किसी प्रकार की परेशानी ना हो करें सुनिश्चित

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री एवं पुनरीक्षण समिति की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने शासन की विभिन्न ऋण योजनाओं के बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अतिशीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।

कलेक्टर गोयल ने प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि, कमजोर वर्ग को ऋण, महिलाओं को ऋण, अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, खादी ग्रामोद्योग, जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना, किसान क्रेडिट कार्ड जैसे विभिन्न योजनाओं विस्तृत समीक्षा की।

कलेक्टर गोयल ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की उपलब्धियो की समीक्षा करते हुए कहा कि छोटी बचत को प्रोत्साहित करते हुए अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को सुगमता से ऋण उपलब्ध करें। उन्होंने साख जमा अनुपात में आवश्यक सुधार कर राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बनाए कार्ययोजना की जानकारी ली। उन्होंने बैंकों को प्रत्यक्ष कृषि ऋण में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए, ताकि किसानों के आय में वृद्धि हो सके। इस दौरान उन्होंने कमजोर, महिला एवं अल्पसंख्यक वर्ग ऋण की समीक्षा की। उन्होंने कमजोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग के ऋण में आवश्यक वृद्धि करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय की संख्या के लिहाज से ऋण प्रकरण बढ़ाने में विशेष ध्यान देने को कहा। महिलाओं के ऋण समीक्षा के दौरान एलबीओ ने बताया कि जिले में राष्ट्रीय लक्ष्य 5 प्रतिशत के विरुद्ध ऋण अधिक है। जिस पर कलेक्टर गोयल ने सभी बैंकों को प्राथमिकता से ऋण प्रदान करने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह ऋण केवल एसएचजी समूह की महिलाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय आजीविका मिशन अंतर्गत जिले के विभिन्न बैंकों में लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन ग्रामीण एवं शहरी के जो प्रकरण लंबित है उन आवेदनों की जांच कर स्वीकृत करे अथवा अस्वीकृत करने की स्थिति में उचित कारण अंकित करे। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता से अति शीघ्र निराकृत करें।

कलेक्टर गोयल ने खादी ग्रामोद्योग एवं जिला व्यापार एवं उद्योग, अंत्योदय स्वरोजगार योजना एवं आदिवासी स्वरोजगार योजना में प्राप्त प्रकरण एवं वितरण की जानकारी ली। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरण पर बैंकों से चर्चा करें। साथ ही योजना के लाभ पश्चात हितग्राही के संचालित व्यावसायिक स्थल पर योजना का नाम एवं वर्ष अंकित किया जाए, ताकि अन्य लोगों को योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो एवं वे भी योजना का लाभ उठा सके। इस अवसर आरबीआई से नवीन तिवारी, एलबीओ कमल किशोर सिंह सहित विभागीय अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

केसीसी प्रकरण न रखे लंबित

कलेक्टर गोयल ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कृषि, पशुपालन, मत्स्य एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा बनाए गए केसीसी प्रकरण की जानकारी ली। कलेक्टर गोयल ने कहा कि शासकीय अमला एवं बैंक केसीसी के प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित न रखे। उन्होंने विभागीय अधिकारी को कहा कि दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में निरस्त होने पर दस्तावेज पूर्ण कर पुन: भेजे। इस दौरान उन्होंने फसल बीमा की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि फसल बीमा अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत प्रशिक्षण की जानकारी ली। विभागीय अधिकारी ने बताया कि सितंबर माह तक 39 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कर 977 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया गया है।

बैंक पहुंचे महिला समूह को वित्तीय लेनदेन में न हो परेशानी

कलेक्टर गोयल ने कहा कि स्व-सहायता समूह की महिलाएं अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से आती है, ऐसे में बैंकों में उन्हें अधिक समय तक इंतजार न करवाए, ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि वित्तीय लेनदेन संबंधी जानकारी प्रदान करने के साथ ही प्राथमिकता से उनका सहयोग करें। इस दौरान उन्होंने एनआरएलएम, आदिवासी विभाग, अत्यांवसायी, महिला एवं बाल विकास विभाग को उप समिति गठित कर ऋण योजनाओं की समीक्षा के निर्देश सीईओ जिला पंचायत को दिए, ताकि ऋण योजनाओं के लंबित प्रकरणों में कमी आ सके।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480